

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6518/2024

बद्री प्रसाद मीणा पुत्र श्री मूला मीणा, निवासी क्वार्टर नंबर सी-1/1 अजमेरु, पी.सी.डी.ए. क्वार्टर, हल्दी घाटी गेट के सामने, खातीपुरा जयपुर (राजस्थान)।

.....अभियुक्त याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लोक अभियोजक के माध्यम से

----गैर याचिकाकर्ता

से संबंधित

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6519/2024

मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री राम प्रसाद मीणा, निवासी मीणा कॉलोनी, उदय मोड़, गंगापुर सिटी, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान), तत्कालीन वरिष्ठ लेखा परीक्षक, ए.ओ.जी.ई. (वायुसेना) सूरतगढ़ (राजस्थान) कार्यालय, वर्तमान में एल.ए.ओ. सेना, जैसलमेर (राजस्थान) में पदस्थ।

.....अभियुक्त याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लोक अभियोजक के माध्यम से

----गैर याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री डी.के. गर्ग श्री राहुल शर्मा श्री रजनीश गुप्ता के लिए
प्रतिवादी(यों) के लिए	:	श्री श्याम सिंह यादव, विशेष लोक अभियोजक

माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित दिनांक

10/10/2024

उच्चारित दिनांक

14/11/2024

1. यह वर्तमान याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 528 के तहत दायर की गई है, जिसमें आपराधिक विविध मामले संख्या 34/2024 में पारित दिनांक 04.09.2024 के चुनौतीप्राप्त आदेश को चुनौती दी गई है। यह मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ है, जिसके संबंध में माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-1 द्वारा दिनांक 20.09.2024 को अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2. विस्तृत विवरण से रहित, वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (संक्षेप में 'एसीबी') में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें ठेकेदारों के बिलों को एक प्रतिशत कमीशन के बदले पास करने के आरोप थे, जो अवैध संवर्धन और परितोषण के रूप में माने जाते हैं। उक्त आरोप के लिए दिनांक 10.11.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 के अधिनियम द्वारा संशोधित) की धारा 7-ए और 8 के तहत अपराधों के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तत्पश्चात, अन्वेषण एजेंसी ने गहन अन्वेषण के बाद अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अन्वेषण एजेंसी द्वारा कर्मचारियों और ठेकेदार के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के आदान-प्रदान के संबंध में वॉयस रिकॉर्डिंग एकत्र की गई थी। इसके बाद, विशेष लोक अभियोजक द्वारा विशेष न्यायाधीश, सीबीआई नंबर 1 के समक्ष अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के वॉयस सैंपल एकत्र करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

3. इस मोड़ पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने का आदेश पारित किया गया था।
4. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं ने वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया था, हालांकि अन्य व्यक्ति(यों) के वॉयस सैंपल पहले ही केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा, ठेकेदारों और अन्य लोगों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत अन्वेषण लंबित है जब तक कि केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती।
5. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 24.04.2024 को विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. नंबर 1, जयपुर के समक्ष अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के वॉयस सैंपल एकत्र करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा, इसी संबंध में, विपरीत पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रितेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्ट किए गए (2019) 8 SCC 1 और प्रवीणसिंह नृपतिसिंह चौहान बनाम गुजरात राज्य में रिपोर्ट किए गए 2023 LiveLaw (SC)463 में पारित निर्णयों पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि न्यायालय के पास किसी अपराध के अन्वेषण के उद्देश्य से वॉयस सैंपल एकत्र करने का आदेश देने की शक्ति है, हालांकि विद्वान अधिवक्ता ने इसका खंडन किया और प्रस्तुत किया कि न्यायालय अभियुक्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध वॉयस सैंपल प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्क के समर्थन में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ओमकार सप्रे बनाम राजस्थान राज्य शीर्षक से एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 4474/2021 में पारित निर्णय पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध वॉयस सैंपल देने के लिए

बाध्य नहीं किया जा सकता है और आगे कहा कि यहां तक कि विद्वान विचारण न्यायालय भी वॉयस सैंपल प्रदान करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अनुमान लगाने के संबंध में कोई टिप्पणी करने के लिए सशक्त नहीं है।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया कि विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन का अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया था।

8. इस पृष्ठभूमि में, अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त चुनौतीप्राप्त आदेश अवैध है और निम्नलिखित कारणों से इसे रद्द करने की प्रार्थना की:

8.1 कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रदान करने के लिए बाध्य करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

8.2 कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं की इच्छा के विरुद्ध वॉयस सैंपल एकत्र करना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए अभियुक्त-याचिकाकर्ता निजता के अधिकारों के कारण इसे अस्वीकार कर सकते हैं।

9. इसके विपरीत, सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के बीच रिश्तत की राशि की मांग, बातचीत और स्वीकृति के संबंध में विभिन्न दोष सिद्ध करने वाली बातचीत हुई है, इसलिए अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के वॉयस सैंपल का संग्रह और कथित आवाजों के साथ उनकी फॉरेंसिक तुलना अन्वेषण को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने निजता के अधिकार के तर्क का vehemently विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उक्त अधिकार को एक पूर्ण अधिकार नहीं माना जा सकता है और न्यायोचित कारणों से जनहित में वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जा सकती है।

11. इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 81/2011 शीर्षक से फतेह सिंह मीणा बनाम सीबीआई, ओमकार सप्रे बनाम राजस्थान राज्य में रिपोर्ट किए गए एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 4474/2021 में पारित निर्णयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवीण सिंह नृपत सिंह चौहान बनाम गुजरात राज्य में रिपोर्ट किए गए 2023 **LiveLaw SC 463**, रितेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्ट किए गए (2019) 8 **SCC 1** में पारित निर्णयों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 349 के प्रावधानों में निहित निर्णय के आधार पर भरोसा किया।

12. प्रतिद्वंद्वी निवेदनों को सुना और उन पर विचार किया गया, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट किया है: -

12.1 कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एसीबी में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता ठेकेदारों से बिल राशि का एक प्रतिशत अनुचित लाभ प्राप्त/स्वीकार करने में लिस थे, और यह अवैध संवर्धन और परितोषण तथा भ्रष्ट आचरण के बराबर है।

12.2 कि आरोप पत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित) की धारा 7-ए और 8 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दायर किया गया था।

12.3 कि अन्वेषण को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए, लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के वॉयस सैंपल एकत्र करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

12.4 कि अन्य व्यक्तियों के कुछ वॉयस सैंपल पहले ही सीएफएसएल को भेजे जा चुके हैं।

13. इस न्यायालय ने विश्लेषण किया है कि वर्तमान मामले में अन्वेषण के उद्देश्य से वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करना, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक है, जनहित में आवश्यक है।

14. इस पृष्ठभूमि में, कानून का प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप की मांग करता है, वह यह है कि क्या वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करना भारत के संविधान के अनुच्छेद

20(3) के प्रावधानों या अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन करता है। इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवीणसिंह (सुप्रा) में स्पष्ट रूप से कहा है कि वॉयस सैंपल का संग्रह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा, और यह अनुमान उक्त मामले में उद्धृत रितेश (सुप्रा) शीर्षक वाले निर्णय पर भरोसा करते हुए निकाला गया था, जिसमें यह माना गया है कि निजता के मौलिक अधिकार को पूर्ण नहीं माना जा सकता है और इसे बाध्यकारी जनहित के समक्ष झुकना होगा।

15. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने नोट किया है कि उक्त अनुच्छेद यह नहीं कहता है कि एक अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह केवल यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसलिए, वर्तमान मामले में वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करना, अपने आप में, अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के संबंध में दोष सिद्ध नहीं करता है, और दोष सिद्ध करने का परिणाम उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ ऐसी रिकॉर्डिंग की तुलना पर निर्भर है। इसके अलावा, अभियुक्त-याचिकाकर्ता अंतिम परिणाम का खंडन कर सकते हैं, इसलिए, उनके पास हमेशा अपना बचाव करने का अधिकार होगा। उक्त अनुच्छेद सुविधा के लिए यहां पुनरुत्पादित किया गया है: -

"क. किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को

अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।"

16. इस न्यायालय ने आगे राय व्यक्त की है कि वर्तमान मामले में वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करना एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और तटस्थ अन्वेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है। पहचान के अन्य तरीकों—जैसे फिंगरप्रिंट, रक्त के नमूने और डीएनए परीक्षण—की तरह, आवाज एक अद्वितीय व्यक्तिगत विशेषता है जो वैज्ञानिक माध्यमों से पहचान को सत्यापित करने में सहायता कर सकती है, जो साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को कोई अतिरिक्त आत्म-अभियोगात्मक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें केवल एक वॉयस सैंपल प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो रक्त के नमूने प्रदान करने के समान है। अन्वेषण एजेंसी द्वारा इस वॉयस रिकॉर्डिंग को अभियुक्त के बयान के बराबर

नहीं माना जा सकता है और इसे अपराध के विषय वस्तु से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या में, फतेह सिंह बनाम सीबीआई (सुप्रा) में समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो साक्ष्य संग्रह में ऐसे वैज्ञानिक तरीकों की वैध और प्रक्रियात्मक वैधता को दोहराता है, जिसके प्रासंगिक अंशों को नीचे दोहराया गया है: -

"8. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय श्रीमती सेलवी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2010 (2) W.L.C. 99 का प्रश्न है इसमें अन्वेषण के दौरान नारको एनेलिसिस पॉलीग्राफ और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाईल तीनों वैज्ञानिक तकनीक एवं पद्धति को अमानवीय होना निर्धारित करते हुए असंवैधानिक करार दिया गया है। इस विनिर्णय में इस स्थिति का भी विवेचन किया गया है कि ऐसी तकनीक के द्वारा परीक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति को शारीरिक क्षति भी पहुंच सकती है क्योंकि इसके लिये दवा पिलाने बारम्बार जांच करने एवं कई तकनीकों का अभियुक्त पर प्रयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है। इसमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के बिना ऐसी तकनीक का प्रयोग उसकी गोपनीयता एवं एकान्तता का अतिक्रमण करता है जो संविधान द्वारा प्रदत्त उसके बहुमूल्य अधिकार हैं। इन तकनीकों को प्रयोग अभियुक्त के प्रति अमानवीय, अपमानजनक एवं क्रूर है और इस कारण जघन्य अपराधों के अनुसंधान में भी इन्हें स्वीकार करने या व्यवहार में लाने की अनुमति का कोई न्यायसंगत आधार नहीं है। इसका तात्पर्य तो एक प्रकार से अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये बाध्य करना हो जायेगा। इसमें अन्वेषण के दौरान झूठ परिमापक यन्त्र का प्रयोग भी केवल अभियुक्त की सहमति से ही किये जा सकने का दिशा निर्देश प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह विधि दृष्टान्त हमें यही मार्गदर्शन प्रदान करता है कि किसी भी आपराधिक मामले के

अन्वेषण में नारको एनेलिसि, पॉलीग्राफ और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल जैसी तीनों तकनीकों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) एवं 21 का उल्लंघन है। इस विनिर्णय का मैंने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इसमें आवाज के नमूने के संबंध में कहीं भी विचार किया जाना प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय का यह विधि दृष्टान्त हस्तगत मामले में प्रार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत विनिर्णय केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली बनाम अब्दुल करीम लाडसाब तेलंगी एवं अन्य 2005 **Cr. L.J.** 2868 (मुम्बई उच्च न्यायालय) का मैंने अवलोकन किया जिसमें अभियुक्त को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड करवाने के आदेश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं माना अपितु यह निर्धारित किया गया कि इसके माध्यम से तो केवल इस सत्य निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिलती है कि दूरभाष से टेप की गयी आवाज अभियुक्त की है या नहीं। यदि यह आवाज अभियुक्त की नमूना आवाज से मेल नहीं खाती है तो अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध बनना नहीं पाया जायेगा और यदि यह आवाज अभियुक्त की होना पायी जाती है तो भी इस नमूने की आवाज को उसके विरुद्ध साक्ष्य मानकर नहीं पढ़ा जायेगा। इससे तो पुलिस को अनुसंधान के दौरान सत्य वस्तुस्थिति पर पहुंचने में सहायता मिलती है। यह स्थिति किसी भी पक्ष विशेष के विरुद्ध नहीं है अपितु वास्तविक स्थिति एवं सत्य निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायक है। इस विनिर्णय के पैरा संख्या 11, 12 एवं 13 हस्तगत मामले में सुसंगत हैं जिन्हें यथावत नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-"

17. इस मुद्दे पर कि क्या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को नमूना देने का आदेश दे सकता है, इस न्यायालय ने कहा है कि ओमकार सप्रे (सुप्रा) में स्थापित नज़ीर की व्याख्या करते

हुए यह देखा गया है कि विचारण न्यायालय के पास अभियुक्त के वॉयस सैंपल प्रदान करने से इनकार करने से संबंधित मामलों को संबोधित करने का विशेष अधिकार है, इस निर्देश के साथ कि ऐसे इनकार से अकेले कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। यह निर्णय वॉयस सैंपल प्राप्त करने के आवेदनों का न्यायनिर्णयन करने के लिए मजिस्ट्रेट की सक्षमता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवीण सिंह (सुप्रा) और रितेश (सुप्रा) में प्रदान किए गए आधिकारिक मार्गदर्शन पर विचार करते हुए, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 के तहत धारा 349 के संहिताकरण के साथ, यह न्यायालय व्याख्या करता है कि विधायिका ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों को व्यक्तियों, जिसमें अभियुक्त भी शामिल हैं, को अन्वेषण के उद्देश्य से आवश्यक समझे जाने वाले वॉयस सैंपल या अन्य नमूना सैंपल प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त किया है। धारा 349 स्पष्ट करती है कि ऐसा आदेश तभी जारी किया जा सकता है जब व्यक्ति को अन्वेषण के संबंध में पहले गिरफ्तार किया गया हो, हालांकि इस आवश्यकता को मजिस्ट्रेट के विवेक पर माफ किया जा सकता है, बशर्ते कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाए। उक्त धारा को निम्नानुसार दोहराया गया है: -

"349. मजिस्ट्रेट की किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेखन, आदि देने का आदेश देने की शक्ति—

यदि प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति भी शामिल है, को नमूना हस्ताक्षर या अंगुलि छाप या हस्तलेखन या वॉयस सैंपल देने का निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस प्रभाव का आदेश दे सकता है और ऐसे मामले में जिस व्यक्ति से आदेश संबंधित है उसे ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा या उपस्थित किया जाएगा और वह अपने नमूना हस्ताक्षर या अंगुलि छाप या हस्तलेखन या वॉयस सैंपल देगा:

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो:

परंतु यह भी कि मजिस्ट्रेट, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसा नमूना या सैंपल देने का आदेश दे सकता है।”

18. इस प्रावधान को, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, अन्वेषण की आवश्यकताओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सावधानीपूर्वक संतुलित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वॉयस सैंपल प्रदान करने की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करती है, जो आत्म-अभियोजन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार विधायी ढांचा वॉयस सैंपल एकत्र करने के लिए एक वैध और संरचित दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है, ऐसे अन्वेषण उपायों की प्रक्रियात्मक और संवैधानिक औचित्य को बनाए रखता है।

19. संक्षेप में, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा चुनौतीप्राप्त आदेश में जारी किए गए निर्देश उपरोक्त अवलोकन पर विचार करते हुए और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उचित हैं, इसलिए यह न्यायालय हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है।

20. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

(समीर जैन),जे

जेकेपी/एस-14-15

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

